अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)
नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
फोन : 011–26131578, 011–26131580, 011–29581000 वेब–साईट : www.aicte-india.org

अनुमोदन प्रक्रिया 2019–20 हेतु सार्वजनिक सूचना

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा **शैक्षणिक सत्र 2019–20** हेतु प्रबंधन पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विद्यमान तथा नई सभी तकनीकी संस्थाओं से निम्नानुसार अनुमोदन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :

1. नए तकनीकी संस्थान

''डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण–पत्र/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/भेषजी/वास्तुकला/आयोजना/अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प/डिजाईन/होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी/एमसीए/प्रबंधन में तकनीकी कार्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्धता प्राप्त नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने हेतु'' आवेदन।

अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक पिछले शैक्षणिक वर्षों में वास्तुकला परिषद्/भारतीय भेषजिक परिषद् द्वारा अनुमोदित सस्थाएं/अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प/व्यावसायिक (तकनीकी) कार्यक्रम/एम.सी.ए./एम.बी.ए. जैसे कार्यक्रम संचालित कर रही गैर–तकनीकी संस्थाएं जिनके पास अभातशिप का अनुमोदन नहीं है, अपना आवेदन नई तकनीकी संस्थाओं के रूप में जमा करेंगी।

अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये गए आदेश सीए संख्या 17869–17870/2017 दिनांक 03.11.2017 के अनुपालन में) नई संस्थाओं के रूप में आवेदन जमा करेंगी।

अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने के इच्छुक केन्द्रिय और राज्य विश्वविद्यालय/घटक महाविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय नई तकनीकी संस्थाओं के रूप में आवेदन जमा करेंगे।

2. विद्यमान तकनीकी संस्थान

विद्यमान तकनीकी संस्थाओं से, जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी/भेषजी/वास्तुकला/आयोजना/अनुप्रयुक्त कला और शिल्प/डिजाइन/होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी/एमसीए/प्रबंधन में डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाणपत्र/स्नातक पूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर विश्वविद्यालयों/बोर्ड से संबद्ध तकनीकी कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं अथवा एकल (स्टैण्डअलोन) संस्थाओं से निम्नलिखित के लिए आवेदन :–

- स्थान/स्थिति में परिवर्तन
- महिला संस्था का सह–शिक्षण संस्था में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय
- डिप्लोमा संस्थाओं का डिग्री संस्थाओं में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय
- विद्यमान संस्थाओं में नए कार्यक्रम (मों)/स्तर (रों) को आरम्भ करना
- विद्यमान संस्थाओं में अनुमोदन का विस्तार/पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष(र्षों) में रोक के उपरांत अनुमोदन जारी करना/प्रवेश–क्षमता को बहाल करना (रिस्टोरेशन)
- अनुमोदन में विस्तार (ईओए) को आगे बढ़ाना
- प्रवेश–क्षमता/अतिरिक्त पाठ्यक्रम (मों) में वृद्धि
- एकीकृत/दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करना
- डिग्री भेषजी संस्थाओं में डिप्लोमा आरंभ करना तथा इसके विपर्यय
- एक ही न्यास/सोसायटी/कंपनी द्वारा एक ही परिसर में चलाई जा रही संस्थाओं को आमेलित करना
- संस्था को बंद करना
- पीजीडीएम पाठ्यक्रम संचालित कर रही प्रबंधन संस्थाओं को एमबीए पाठ्यक्रम संस्थाओं में परिवर्तित करना

- द्वितीय पाली के पाठ्यक्रमों को प्रथम पाली के पाठ्यक्रमों में परिवर्तित करना
- एमबीए कार्यक्रमों को बंद करना तथा एमसीए पाठ्यक्रम आरंभ करना तथा इसके विपर्यय
- प्रबंधन में अध्येतावृत्ति कार्यक्रम आरंभ करना/जारी रखना
- विदेशी राष्ट्रिक (एफ.एन.)/ओसीआई/पीआईओ/खाड़ी देशों मे कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों हेतु अधिसंख्य सीटों को आरंभ करना/जारी रखना
- अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए अधिसंख्य सीटें आरंभ करना/जारी रखना
- पाठ्यक्रम (मों) के नाम में परिवर्तन/पाठ्यक्रमों को आमेलित करना/प्रवेश–क्षमता में कमी/कार्यक्रम (मों)/पाठ्यक्रम (मों) को बंद करना
- पार्श्विक प्रवेश का आमेलन –स्वतंत्र प्रभाग का इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी के द्वितीय वर्ष/नियमित एमसीए के प्रथम वर्ष में
- संस्था अथवा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड के नाम में परिवर्तन
- बैंक के नाम में परिवर्तन
- न्यास/सोसायटी/कम्पनी के नाम में परिवर्तन
- तकनीकी शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बीच सहयोग एवं ट्विनिंग कार्यक्रम

3. व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम

डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री स्तर पर तकनीकी कार्यक्रम चलाने वाली विद्यमान तथा बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थाओं से राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढ़ाँचा (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत डिप्लोमा/डिग्री स्तर के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (ओं) आरंभ करने/जारी रखने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन।

सत्र 2019–20 के लिए उपरोक्त दिए गए सभी अनुमोदनों हेतु ऑनलाईन आवेदन जमा करने हेतु दिनांक **14 जनवरी, 2019 से आरंभ** होंगे तथा **03 फरवरी, 2019 को बंद** होंगे। **केवल विद्यमान संस्थाओं को** स्व–प्रकटन (Self-disclosure) अनुमोदन में विस्तार हेतु ऑनलाईन आवेदन जुर्माने सहित (अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2019–20 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार) जमा करने के लिए दिनांक **08 फरवरी, 2019** तक अनुमति दी जाएगी। **यह नोट कर लिया जाए कि किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि को नही बढ़ाया जाएगा।**

सभी आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे **शैक्षणिक सत्र 2019–20** के लिए अभातशिप के वेब–पोर्टलः **www.aicte-india.org** पर ऑनलाईन आवेदन करने से पहले अभातशिप अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2019–20 तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2018 का अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सम्पूर्णतः अध्ययन कर लें, जोकि अभातशिप के वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

टिप्पणीः– सभी संस्थाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी सामान्य अधिसूचनाओं, अद्यतन सूचना तथा अनुमोदन प्रक्रिया 2019–20 के लिए आधिकारिक संवाद के लिए नियमित आधार पर अभातशिप की वेबसाईट ''www.aicte-india.org > approval Process 2019-20 क्विक लिंक'' देखें। संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत तौर पर कोई अन्य संवाद नहीं किया जाएगा।

प्रो० आलोक प्रकाश मित्तल
सदस्य सचिव, अभातशिप

विज्ञापन सं. : अनुमोदन/